

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने, केन्द्रीय पौधशाला, भरतपुर - 321001 (राज.)
फोन : 05644-226017, 227518 ई-मेल : ccf.bhp.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ () 2021-22/एफसीए/मुवसभ/ 5844
निमित्त,

दिनांक 23-10-23

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, राज. जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.5265 hac. Forest land for Costruction of Road from Kota to Pator, District- Karauli (Rajasthan) in favour of Public Work Department, Karauli (Rajasthan) (Online Proposal No.- FP/RJ/ROAD/35272/2018)

संदर्भ- आपका ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 04.10.2023 व उप वन संरक्षक, करौली का पत्रांक 8449 दिनांक 16.10.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 04.10.2023 के क्रम में उप वन संरक्षक करौली द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 16.10.2023 से बिन्दुवार निम्नानुसार पूर्ति कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया है :-

S.No.	Observations	Compliance
1.	Not complied. The proposed villages Pator and Kanwarpura have not been included in forest block Kota-A. Justified it.	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रस्तावित ग्राम पाटोर व कंवरपुरा को वनखण्ड कोटा ए में भामिल नहीं किये जाने को उचित इसलिए उहाराया गया है कि उक्त प्रस्ताव में आने वाली भूमि ग्राम पाटोर व कंवरपुरा अंतर्गत ही आती है। उक्त ग्राम वनखण्ड कोटा ए की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त पूर्व सम्मिलित ग्राम से ही बने हैं।
2.	Not complied. As per recommendation of CCF & notification of forest land, the proposed villages Pator and Kanwarpura have not been included in forest block Kota-A. Justified it.	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि उक्त बिन्दु का प्रत्युत्तर उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या 1 के जबाब से स्वतः ही स्पष्ट होता है।

अतः उक्तानुसार आक्षेप पूर्ति उपरान्त प्रस्ताव ऑनलाईन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(डॉ. टी. मोहन राज)
मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर
Signature valid 23-10-23

क्रमांक एफ () 2021-22/एफसीए/मुवसभ/ 5845
प्रतिलिपी :- उप वन संरक्षक, करौली को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित किया है।

Digitally signed by T. Mohan Raj
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.10.23 11:35:25 IST
Reason: Approved
उप वन संरक्षक,

कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

(गदका की चौकी, करौली-322241, फोन.नं.07464-297003, Email: dcf.kroll.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ()वसु/उवसं/2023-24/ 8449

दिनांक:-16/10/2023

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर।

विषय:-Diversion of 0.5265 ha. Of forest land in favour of Public Work Department Karauli for Construction of Road from Kota to Pator Km 0/0 to 3/000

प्रसंग:- आप कार्यालय द्वारा लगाए गए आक्षेपों के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) द्वारा उक्त विषयांकित प्रकरण में लगाए गए आक्षेप की पूर्ति निम्नानुसार कर प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

S.No.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	Not Complied. The proposed villages pator and Kanwarpura have not been included in Forest Block Kota A. Justified it.	प्रस्तावित ग्राम पटोर एवं कंवरपुरा को वन खंड कोटा ए में शामिल नहीं किये जाने को उचित इसलिए ठहराया कि उक्त प्रस्ताव में आने वाली भूमि ग्राम पटोर एवं कंवरपुरा के अन्तर्गत ही आती है। उक्त ग्राम वन खंड कोटा ए की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त पूर्व सम्मिलित ग्राम से ही बने हैं।
2	Not complied. As per recommendation of CCF & notification of forest land, The proposed villages pator and Kanwarpura have not been included in Forest Block Kota A. Justified it	उक्त बिन्दु का प्रत्युत्तर बिन्दु संख्या 1 के जवाब से स्वतः स्पष्ट होता है।

भवदीय

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली
दिनांक:- / /2023

क्रमांक:-एफ()वसु/उवसं/2023-24/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।

PCA
20/10/23
DCF (adm)

23/10



उप वन संरक्षक
करौली